उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:58/2022/1045/छप्पन-2022-23/2017
लखनऊ, दिनांक: 21 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रामिक / भत्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या:-8/2019/193/छप्पन-2019-17/2014 दिनांक 29 जनवरी, 2019 में फिक्स्ड विंग के संविदा सेवा के पायलट-इन-कमाण्ड के लिए अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रेन्ज (रू0 2.50 लाख से रू0 07.00 लाख) से इतर पारिश्रमिक निर्धारण हेतु उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(ख) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रारम्भिक रूप से रू0 07.75 लाख के नियत मासिक पारिश्रामिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ता तथा नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर श्रीमती करिश्मा भल्ला को नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई के फिक्स्ड विंग में पायलट-इन-कमाण्ड (पायलट फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्रीमती करिश्मा भल्ला को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

3- श्रीमती करिश्मा भल्ला से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

4- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्रीमती करिश्मा भल्ला द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

श्रीमती करिश्मा भल्ला,
701, संकल्प सफायर (OPP-HOTEL RAMADA),
प्रहलाद नगर, अहमदाबाद,
गुजरात- 380015

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 58/2022/1045 (1)/छप्पन-2022-23/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्रीमती करिश्मा भल्ला से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।